समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540,2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर–452001

क्रमांक– प्रशा./तीन (03)/2019/129 दिनांक :– 13 MAR 2019

प्रति,
कार्य परिषद् के सम्माननीय सदस्यगण
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

विषय : कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 01.3.2019 के कार्य विवरण ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 01.03.2019 के कार्य विवरण की एक प्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है । आपसे विनम्र निवेदन है कि कार्य विवरण पर यदि कोई टीका हो तो सात दिन में सूचित करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

संलग्न : यथोपरि ।

देवी अहिल्या विश्वविद्‌यालय, इन्दौर

कार्य–परिषद् की बैठक शुक्रवार दिनांक 01.3.2019 को पूर्वान्ह 11:30 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

1.	डॉ. एन.के. धाकड़, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ. प्रकाश सी बरतूनिया	सदस्य
3.	श्री मोहनलाल छीपा	सदस्य
4.	श्री आलोक डावर	सदस्य
5.	श्रीमती गीता मरकाम	सदस्य
6.	डॉ. रवि वर्मा	सदस्य
7.	डॉ. के.एन.चतुर्वेदी (अतिरिक्त संचालक)	सदस्य
8.	श्री देवधर दरवाई (प्रतिनिधि वित्त विभाग म.प्र.शासन)	सदस्य
9.	डॉ. रेखा आचार्य	सदस्य
10.	डॉ. अशोक कुमार	सदस्य
11.	डॉ. ए.व्ही बजाज	सदस्य
12.	डॉ. कुसुमलता निगवाल	सदस्य
13.	डॉ. सुमित्रा वास्केल	सदस्य
14.	श्री अजय वर्मा प्रभारी कुलसचिव	सचिव

बैठक में निम्नांकित सदस्य अनुपस्थित थे :

1.	डॉ (श्रीमती) रागिनी मख्खर	सदस्य
2.	डॉ. आर.के. माथुर	सदस्य
3.	डॉ. के हजेला	सदस्य
4.	डॉ. एच.एल. अनिजवाज	सदस्य

बैठक का प्रारम्भ विश्वविद्यालय के कुलगीत से किया गया।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपतिजी द्वारा समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया।

बैठक के प्रारम्भ में पुराने परीक्षा परिणामों के डिजिटलाईजेशन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित कय किए जाने वाले स्कैनर का प्रदर्शन किया गया।

तदुपरांत माननीय अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्य–वृत्त

विषय क्र.:1: कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 18.2.2019 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि विषयक।

कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 18.2.2019 के कार्य–विवरण का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया कि कार्य–परिषद् की बैठक दि.18.2.2019 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि निम्नांकित संशोधन के साथ की जाए :

"विषय क्र.4 के पद क्र3 में निर्णय लिया गया कि मारूती आर्टिका ही क्रय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।"

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:2: कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 18.2.2019 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन बाबत्।

परिषद् द्वारा कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 18.2.2019 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही ग्राह्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:3: वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.2.2019 के कार्य–विवरण पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.2.2019 के कार्य–विवरणों का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.2.2019 की अनुशंसाएं मान्य की गई।

(कार्यवाहीः वित्त विभाग)

विषय क्र.:4: विभिन्न अध्ययनशालाओं में अध्यादेश क्र. 4(सी) एवं 4(डी) के अंतर्गत अनुबंध आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आयोजित चयन समिति की अनुशंसाओं पर विचार।

अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल से पत्र क्र.318/510/2019/38–3 दिनांक 28.2.2019 द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में आयोजित संविदा आधार पर सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त शिकायत के संबंध में राज्य सरकार ने एतद् द्वारा इस प्रक्रिया में अंतिम निर्णय/ परिणाम को स्थगित रखे जाने एवं विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक की गई प्रक्रिया का प्रतिवेदन तत्काल विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल से प्राप्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रक्रिया में अंतिम निर्णय/ परिणाम को स्थगित रखा जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:5(ए): कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. की नवीन मार्गदर्शिका (संशोधित अध्यादेश क्र.4 (बी)) के अनुसार अर्थशास्त्र अध्ययनशाला (नियमित) के व्याख्याता को (स्टेज–2) से (स्टेज–3) के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु दिनांक 25.2.2019 को आयोजित Screening cum Evaluation Commttee की अनुशंसा पर विचार।

अवगत कराया गया कि कॅरियर एडवान्समेंट योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. की नवीन मार्गदर्शिका के अनुसार (संशोधित अध्यादेश 4–बी) अर्थशास्त्र अध्ययनशाला (नियमित) के शिक्षक को व्याख्याता(स्टेज–2) से (स्टेज–3) के पद पर पदोन्नति हेतु गठित **Screening cum Evaluation Committee** की अनुशंसाओं के सील्ड लिफाफे कार्य–परिषद् के समक्ष खोले गए। **Screening cum Evaluation Committee** की अनुशंसाओं का वाचन किया गया तथा उसे कार्य–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निम्नांकित अनुशंसा की गई है :

School of Economics :

Resolved that it be recommended to the Executive Council that the following be promoted as Lecturer (Stage-3) in the School of Economics, DAVV in the PB (Rs.15600-39100) with AGP RS.8,000/-, from the date of eligibility Under Career Advancement Scheme on the salary as per rules :

1- Dr. Sakharam Mujalde,
Lecturer (Stage-2), School of Economics

सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चयन समिति की उक्त अनुशंसाओं को मान्य किया जाए तथा तद्नुसार चयन समिति की अनुशंसानुसार डॉ. सखाराम मुजाल्दे को व्याख्याता (स्टेज–2) से (स्टेज–3), अर्थशास्त्र अध्ययनशाला के पद पर पदोन्नति पात्रता तिथि से प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:5(बी): कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. की नवीन मार्गदर्शिका संशोधित अध्यादेश क्र.4 (बी) के अनुसार आजीवन शिक्षण विभाग के नियमित पद पर कार्यरत रीडर (स्टेज–4) से प्रोफेसर (स्टेज–5) के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु दिनांक 26.2.2019 को आयोजित चयन समिति की अनुशंसा पर विचार।

अवगत कराया गया कि कॅरियर एडवान्समेंट योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. की नवीन मार्गदर्शिका के अनुसार (संशोधित अध्यादेश 4–बी) आजीवन शिक्षण विभाग के नियमित पद पर कार्यरत शिक्षक को रीडर (स्टेज–4) से प्रोफेसर (स्टेज–5) के पद पर पदोन्नति हेतु म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–49(2) (3) के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसाओं के सील्ड लिफाफे कार्य–परिषद् के समक्ष खोले गए। चयन समिति की अनुशंसाओं का वाचन किया गया तथा उसे कार्य–परिषद् के समक्ष

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। चयन समिति द्वारा निम्नांकित अनुशंसा की गई है :

(a) <u>Deptt. of Life Long Learning</u> :

Resolved that it be recommended to the Executive Council that the following be promoted as Professor(Stage-5) in the Deptt. of Life Long Learning, DAVV in the PB (Rs.37400-67000) with AGP RS.10,000/-, from the date of eligibility Under Career Advancement Scheme on the salary as per rules :

1- Dr. Bharti Joshi
Reader (Stage-4), Deptt. of Life Long Learning

सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चयन समिति की उक्त अनुशंसाओं को मान्य किया जाए तथा तद्नुसार चयन समिति की अनुशंसानुसार डॉ. भारती जोशी को रीडर (स्टेज–4) से प्रोफेसर (स्टेज–5), आजीवन शिक्षण संस्थान् के पद पर पदोन्नति पात्रता तिथि से प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.:6: <u>विश्वविद्यालय के विभागों / अध्ययनशालाओं में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किए जाने संबंधी।</u>

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान देने संबंधी प्रकरण शासन की समयमान वेतनमान हेतु जारी मार्गदर्शिका में तकनीकी पदनाम सम्मिलित नहीं होने के कारण लंबित है।

कार्य–परिषद् इस तथ्य से भी अवगत हुई कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर में विभिन्न याचिकाएं विचाराधीन हैं। शासन द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह कहा गया है कि ये तकनीकी कर्मचारी विश्वविद्यालय के हैं, अतः इन प्रकरणों में विश्वविद्यालय स्तर से निर्णय लिया जा सकता है।

कार्य–परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि तकनीकी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। समयमान वेतनमान अन्य समान पदों पर दिए जा रहे समकक्ष वेतनमान अनुसार देय होगा।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.:7: <u>विश्वविद्यालयीन शिक्षकों एवं अधिकारियों को दिनांक 1.1.2016 से पुनरीक्षित सातवां वेतनमान शासन के आदेशानुसार दिए जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ।</u>

निर्णय लिया कि म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र.एफ–1/2018/38/1 दिनांक 18.1.2019 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अधिकारियों (नियमित एवं स्ववित्त) को यू.जी.सी. के सांतवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दि.1.1.2016 से दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.:8: डॉ. आर.के. व्यास, सेवा–निवृत्त प्रोफेसर, आय.आय.पी.एस. के पेंशन व उपादान के भुगतान विषयक।

निर्णय लिया कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र.7408/2015 एवं अवमानना याचिका क्र.2665/2017 में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में डॉ. आर.के. व्यास, सेवा–निवृत्त प्रोफेसर, आय.आय.पी.एस. के पेंशन व उपादान के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.:9: वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन बजट पुनरीक्षित वर्ष 2018–2019, अनुमानित वर्ष 2019–2020 विषयक।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 15.2.2019 में विषय क्र.9 : वर्ष 2018–19 का संशोधित एवं वित्तीय वर्ष 2019–2020 का अनुमानित वित्तीय प्राक्कलन का के कार्य–विवरण का अवलोकन किया गया।

अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2018–19 का संशोधित एवं वित्तीय वर्ष 2019–2020 का अनुमानित वित्तीय प्राक्कलन का अनुमोदन किया गया :

संशोधित आय–व्यय वर्ष 2018–19 का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रारंभिक अनु. आय	संशोधित अनु. आय	प्रारंभिक अनुमानित व्यय	संशोधित अनु. व्यय	मूल प्रस्तावित अनु. घाटा	संशोधित अनु. घाटा
रू.933596000	रू.839711000	रू.1025696600	रू.766766500	रू.(-) 92100600	रू.(+) 72944500

वर्ष 2019–2020 के अनुमानित आय–व्यय की स्थिति

वर्ष 2019–2020 के अनुमानित आय–व्यय में कुल **रू.12,48,76,800/– करोड़** के घाटे का अनुमान है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	आय	व्यय	लाभ/हानि
1.	भाग–1 राजस्व एवं पूंजी खाता	1,08,41,04,500/–	1,20,89,81,300/–	(-)12,48,76,800/–
2.	भाग–2 विकास योजनाएँ	16,51,82,700/–	16,51,82,700/–	–––––
3.	भाग–3 ऋण (निक्षेप एवं अग्रिम)	92,87,91,000/–	1,38,22,40,000/–	(-)45,34,49,000/–
4.	भाग–4 निधि लेखा	38,19,11,000/–	37,92,36,300/–	26,74,700/–
	योग	**2,55,99,89,200/–**	**3,13,56,40,300 /–**	**(-)57,56,51,100/–**

यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन में निम्नानुसार संशोधन किया जाए :

1. विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में एकरूपता लाने के लिए
   – एमसीए कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के स्थान पर कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला किया जाए।
   – कम्प्यूटर साईंस विभाग रक्षा मंत्रालय के स्थान पर कम्प्यूटर साईंस विभाग किया जाए।
2. अनुपयोगी मद, जो किसी भी आय–व्यय से संबंधित न होने से उसे आगामी वित्तीय प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं किया जाए।
3. विश्वविद्यालय स्तर पर व्याख्यान आयोजित किए जाएं एवं उस व्याख्यान हेतु बजट प्रावधान बढ़ाया जाए।

(कार्यवाहीः वित्त विभाग)

विषय क्र.:10: <u>विश्वविद्यालय की विभिन्न प्रकार की रद्दी विक्रय विषयक।</u>

भंडार विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विभाागों में रद्दी उठाने हेतु दिए गए आदेशनुसार 500 टन रद्दी उठा ली गई है। मूल्यांकन केन्द्र एवं अन्य विभाग में बची हुई शेष रद्दी आरंभ होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए उठाना जरूरी है। अतः निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार 250 टन अतिरिक्त रद्दी उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके पश्चात् नई निविदाएं जारी कर पुनः दरें निर्धारित की जाएं।

(कार्यवाहीः भंडार विभाग)

विषय क्र.:11: <u>स्ववित्तीय योजनांतर्गत नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी नियमित महिला कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना अनुसार संतान पालन अवकाश प्रदाय करने हेतु स्वीकृति विषयक।</u>

निर्णय लिया कि स्ववित्तीय योजनांतर्गत नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी नियमित महिला कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना अनुसार संतान पालन अवकाश प्रदाय करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा मान्य की जाती है तथा शासन के आदेशानुसार लाभ प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:12: <u>स्ववित्तीय योजनांतर्गत नियुक्त तृतीय श्रेणी नियमित महिला कर्मचारी श्रीमती जैसी मेथ्यू को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना अनुसार संतान पालन अवकाश प्रदाय करने हेतु स्वीकृति विषयक।</u>

निर्णय लिया कि स्ववित्तीय योजनांतर्गत नियुक्त तृतीय श्रेणी नियमित महिला कर्मचारी श्रीमती जैसी मेथ्यू को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना अनुसार संतान पालन अवकाश दिनांक 01.3.2019 से 14.12.2019 तक (नौ माह एवं चौदह दिन) प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.13: स्व–वित्त संस्थानों में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के नियमितिकरण की प्रकिया में शेष रहे कर्मचारियों के प्रकरण पर विचार हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचार।

स्व–वित्त संस्थानों में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के नियमितिकरण की प्रकिया में शेष रहे कर्मचारियों के प्रकरण पर विचार करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 14.2.2019 की अनुशंसाओं पर कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 18.2.2019 के विषय क्र.23 में विचार करते हुए निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाएं क्र.2 एवं क्र.3 पर विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर विचार किया जाए। उपरोक्त समिति सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र.सी–2/2018/1/3 दिनांक 5.6.2018 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार करें एवं उपरोक्त कार्य 15 दिवस में पूर्ण कर प्रस्तुत करें।

उपरोक्त निर्णय अनुसार समिति की बैठक 28.2.2019 को सम्पन्न हुई। समिति के प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न स्ववित्त संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विभाग प्रमुख के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया है कि कार्य–परिषद् के निर्णयानुसार तथा मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्र.सी–5–2/2018/1/3 दिनांक 5.6.2018 की कंडिका क्र.1.14.5 के अनुसार समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत समेकित पारिश्रमिक निर्धारित किया जाए साथ ही सेवा शर्तों संबंधी अन्य लाभ भी उपरोक्त सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र.सी–5–2/2018/1/3 दिनांक 5.6.2018 के अनुसार दिए जाएं। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति स्वीकृत पदों (कार्य–परिषद् से) के विरूद्ध विज्ञापन के द्वारा उचित प्रकिया के माध्यम से हुई है उनकी सूची समिति द्वारा तैयार की गई है। मध्यप्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश एवं कार्य–परिषद् के निर्णय के आधार पर सूची के अनुसार प्रस्तावित पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान का न्यूनतम का 90 प्रतिशत समेकित पारिश्रमिक दिए जाने की अनुशंसा समिति के प्रतिवेदन में की गई है।

कार्य–परिषद् उपरोक्तानुसार पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा से अवगत हुई एवं निर्णय लिया गया कि पात्र अधिकारियों/ कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार अंकित लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष रहे कर्मचारियों, जिनकी पात्रता के संबंध में परीक्षण उपरांत समिति की अनुशंसा प्राप्त होगी, के प्रकरणों में निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया जाता है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.14: श्री आलोक डावर, कार्य–परिषद् सदस्य द्वारा दिए गए प्रस्ताव/ सुझावों पर विचार।

1. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल कॉलेज बनाने की भविष्य में क्या योजना है ? मेडिकल कॉलेज की आवंटित जमीन की क्या स्थिति है ? वार्षिक बजट में मेडिकल कॉलेज के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के संबंध में विचार एवं प्रगति के संबंध में एक समिति का गठन किया गया :

1.डॉ. रवि वर्मा, कार्य–परिषद् सदस्य,	अध्यक्ष
2.डॉ. विजय बाबू गुप्ता, विभागध्यक्ष, वि.वि. डाटा साइंस	सदस्य
3.डॉ.अशोक कुमार, विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र अध्ययनशाला	सदस्य
4. डॉ. डी.के. शर्मा, आर्थोपेडिक सर्जन, म.य. अस्पताल, इन्दौर	सदस्य
5. श्री नरेन्द्र पांजरे, वि.वि. यंत्री	संयोजक

(कार्यवाहीः यांत्रिकी विभाग)

2. आईटी. संस्थान एवं अन्य विश्वविद्यालय के अन्य विभागों में लगभग 150 कम्प्यूटर खरीदे गए थे, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, वारंटी पीरियड के बाद आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

अवगत कराया गया कि प्रबंध अध्ययन संस्थान् की कम्प्यूटर लेब का परिवर्द्धन/ विस्तार किया जाना है। निदेशक द्वारा बताया गया कि नेट वर्किंग प्रोसेस में है, इसके पूर्ण होते ही प्रयोगशाला उपयोगी हो जाएगी।

(कार्यवाहीः आय.एम.एस.)

3. शिक्षकों की नई नियुक्ति के लिए जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है उसकी विस्तृत जानकारी कार्य–परिषद् को नहीं दी गई है, उसकी जानकारी अविलम्ब प्रदान की जाए।

अवगत कराया गया कि राजभवन द्वारा सिलेक्शन समिति के सदस्यों को नामांकित किया जाता है, अतः यह विषय गोपनीय प्रकृति का है, इसकी जानकारी कार्य–परिषद् में नहीं दी जा सकती है।

श्री आलोक डावर द्वारा सुझाव दिया गया कि राजभवन में अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली प्रस्तावित सूची को कार्य–परिषद् से अनुमोदन करवाया जाए।

उक्त सुझाव मान्य किया गया।

(कार्यवाहीः कुलपति कार्यालय)

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर एवं राष्ट्र गान के साथ बैठक समाप्त की गई।

हस्ता/–	हस्ता/–
(अजय वर्मा)	(एन.के. धाकड़)
प्रभारी कुलसचिव/ सचिव	कुलपति/ अध्यक्ष